

[भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना
सं. 29 /2018 -सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28 की उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के परंतुक के साथ पठित धारा 157 की उपधारा (2) के उपवाक्य (ड) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.- (1) इस विनियमावली को प्री- नोटिस कॉन्सल्टेशन रेगुलेशन, 2018 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा.- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

(ख) “परामर्श” से अभिप्राय उस आधार के सम्प्रेषण से है जो कि यथोचित अधिकारी के जानकारी में है और जो उस व्यक्ति को नोटिस जारी किए जाने के बारे में है जिस पर शुल्क या ब्याज लगाया जाना है जिससे कि उक्त व्यक्ति का प्रत्युत्तर प्राप्त हो सके और उक्त व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार किया जा सके;

(ग) “नोटिस” से अभिप्राय उक्त अधिनियम की धारा 28 की उप धारा (1) में संदर्भित कारण बताओ नोटिस से है।

3. नोटिस जारी किए जाने के पूर्व परामर्श का तरीका.- नोटिस जारी किए जाने के पूर्व निम्न रूप से परामर्श किया जाएगा:-

(1) नोटिस जारी किए जाने के पूर्व, यथोचित अधिकारी उस व्यक्ति को जिससे की शुल्क या ब्याज की वसूली की जानी है, अपने नोटिस जारी किए जाने की इच्छा से लिखित में अवगत कराएगा जिसमें यथोचित अधिकारी की जानकारी में रहने वाले उन आधारों को भी स्पष्ट किए जाना होगा जिनके आधार पर ऐसी नोटिस जारी किए जाने का प्रस्ताव है और नोटिस जारी किए जाने के पूर्व परामर्श की यह प्रक्रिया उक्त अधिनियम की धारा 28 की उप धारा (3) में उल्लिखित समय सीमा की समाप्ती के यथा संभव कम से कम 2 महीने पहले से शुरू की जानी होगी।

(2) वह व्यक्ति जिससे की शुल्क या ब्याज को वसूला जाना है उप विनियम (1) में संदर्भित सम्प्रेषण की तारीख से 15 दिन के भीतर इस प्रकार संप्रेषित किए गए आधारों के बारे में अपनी बात को लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते कि यदि जिस व्यक्ति को ऐसे आधार पर नोटिस जारी किए जाने का प्रस्ताव है उससे विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यथोचित अधिकारी आगे कोई सम्प्रेषण किए बिना उक्त व्यक्ति को ऐसे नोटिस जारी किए जाने की कार्यवाही कर सकेगा:

बशर्ते और भी कि अपनी बात कहते समय वह व्यक्ति जिससे की शुल्क या ब्याज की वसूली की जानी है, यह स्पष्ट करेगा कि क्या वह यथोचित अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई किए जाने की इच्छा रखता है या नहीं।

(3) यथोचित अधिकारी यदि अनुरोध किया जाए तो उप- विनियम (2) में संदर्भित याचना की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर उस व्यक्ति की सुनवाई कर सकता है और धारा 28 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए यह निर्णय ले सकता है कि क्या किसी नोटिस को जारी किए जाने की जरूरत है या नहीं:

बशर्ते कि इस विनियम में अनुमति प्राप्त सुनवाई के बारे में किसी भी कारण से कोई भी आस्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(4) जहां यथोचित अधिकारी ऐसे परामर्श के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचता है कि उप- विनियम (1) के अंतर्गत संप्रेषित आधार के संदर्भ में नोटिस किए जाने की जरूरत नहीं है तो वह, संबन्धित व्यक्ति को एक साधारण से पत्र के माध्यम से इसकी सूचना दे देगा।

(5) इस विनियम में प्रदत्त परामर्श की प्रक्रिया विनियम (1) में यथा प्रदत्त आधारों के सम्प्रेषण की तारीख से साठ दिन के भीतर पूरी की जानी होगी।

- (6) जहां किसी व्यक्ति के बारे में प्रस्तावित नोटिस तो उसी मुद्दे पर है लेकिन यह अलग अवधि के लिए है या नोटिस पूर्व परामर्श के बाद कागजात जारी किए गए हो वहाँ यथोचित अधिकारी बिना आगे और परामर्श के अगली अवधियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्यवाही कर सकता है।

[फा .सं. 450/49/2018- सीमा शुल्क IV]

(जुबैर रियाज़)
निदेशक (सीमाशुल्क)

